UPBP010017512026

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जनपद न्यायालय बलरामपुर (उ०प्र०)।

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०)आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

प्रथम जमानत आवेदन पत्र सं०-622/2026
अपराध संख्या-239/2024
धारा-74 बी०एन०एस० व धारा-11/12 पाक्सो एक्ट व धारा-3(2)va एस०सी०/एस०टी० एक्ट
सी०एन०आर०नम्बर-UPBP010017512026
पुलिस थाना-पचपेड़वा
जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

दीपक कुमार शुक्ला आयु करीब 20 वर्ष पुत्र अजित देव शुक्ला निवासी ग्राम-नरायनपुर मश० बेमिहा थाना-पचपेड़वा जनपद बलरामपुर (उ०प्र०).....आवेदक

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. फरियादी.....विपक्षीगण/अभियोजन

दिनांक-17.06.2026

उपस्थिति-

(1) आवेदक की ओर से श्री अनिल शुक्ला द्वितीय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार शुक्ला उपस्थित।
पीडिता नोटिस तामील उपरान्त उपस्थित।

पृष्ठभूमि-

(2) आवेदक की ओर से शपथी अभियुक्त स्वयं ने इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी ओर से धारा-483 भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इस आवेदन पत्र के अलावा कोई अन्य आवेदन पत्र किसी अन्य न्यायालय के समक्ष या मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष न तो लंबित है और न ही खारिज हुआ है। तर्क के दौरान आवेदक के विद्वान

अधिवक्ता द्वारा भी उनकी जानकारी में धारा-483 भा०ना० सु०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन प्रथम जमानत आवेदन पत्र होना व्यक्त किया गया है। **आवेदक आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।**

आवेदक का पक्ष-

(3) आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का संक्षिप्त सार यह है कि वह निर्दोष है, उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। सह अभियुक्तगण प्रज्ञा शुक्ला उर्फ जया शुक्ला एवं पूजा की जमानत पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। प्रार्थी निर्दोष है, उसे रंजिशन एवं पार्टीबन्दी के कारण नामित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। वादी मुकदमा व कथित पीड़िताओं के बयानों में काफी विरोधाभाष है। तहरीर में कहीं भी आवेदक द्वारा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के बावत नहीं बताया गया है। वादी मुकदमा व उसके मेली मददगारों द्वारा प्रार्थी के घर पर चढ़कर गाली-गलौज व मारपीट किया गया था, जिसके कारण प्रार्थी की बहन गर्भावस्था में ही चोटहिल हो गई थी। प्रार्थी एक विद्यार्थी है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त वर्णित अभिवचनों के आधार पर आवेदक ने जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने की याचना की है।

अभियोजन का पक्ष-

(4) आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दिलायी गई। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का प्रबलता पूर्वक विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आवेदक के ऊपर अत्यधिक गंभीर प्रकृति के आरोप है यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में गलत संदेश जायेगा, जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक गवाहों को प्रभावित करेगा। अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण के तथ्य-

(5) प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं अन्य सुसंगत पत्रावली के अवलोकन से तथा लिखित तहरीर में वर्णित इबारत के अनुसार घटना यह है कि फरियादी अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है। दिनांक 23.10.2024 को शाम करीब 6.30 बजे फरियादी की बहन, भाभी व मोहल्ले के चचेरे भाई की पुत्री तीनों पीडितागण एक साथ गांव के बाहर सीवान में शौच हेतु गई थी, जिनके वापस घर लौटते समय गांव के ही दीपक शुक्ला रास्ते में फरियादी की बहन, भाभी व भतीजी उपरोक्त को रास्ते में ही रोक कर

भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए छेड़खानी करने लगा, जिससे वह सब किसी तरह से बचकर वापस आईं और आवेदक को सारी घटना बताई। फरियादी ने घटना की शिकायत विपक्षी के घर की और अपने खेत चला गया।

(6) प्र०सू०रि० में यह भी लेख है कि लगभग 1 घंटे बाद करीब 8.00 बजे जब वह खेत से वापस आ रहा था, तो विपक्षीगण दीपक शुक्ला व उसकी बहन प्रज्ञा, पूजा व पिता अजित देव शुक्ला पहले से ही अपने घर के सामने रास्ते में लाठी-डंडा लेकर बैठे थे। आवेदक को देखते ही विपक्षीगण ने लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया और पकड़ कर मारने लगे। फरियादी के हल्ला-गोहार पर गांव के दुर्गेश कुमार व रूपेश कुमार आदि गांव के तमाम लोगों ने पहुंचकर बीच-बराव कराया, तब जाकर उसकी जान बची। फरियादी को काफी चोटें आई हैं। विपक्षीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी द्वारा पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर के समक्ष उक्त आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित पुलिस थाना-पचपेड़वा जिला-बलरामपुर (उ०प्र०) द्वारा मु०अ०सं०-239/2024 पंजीबद्ध कर प्रकरण की अनुसंधान कार्यवाही प्रचलित की गई।

<u>आवेदन पत्र के संबंध में अभिमत-</u>

(7) प्रकरण की पत्रावली के समग्र अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रकरण के विवेचक द्वारा अनुसंधान कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक पर अधिरोपित अपराध सात वर्ष से अधिक के कारावास की सजा से दण्डनीय नहीं है। प्रकरण की सहअभियुक्तागण प्रज्ञा शुक्ला व पूजा की जमानत दिनांक-16.01.2025 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक आज दिनांक तक अंतरिम जमानत पर रहा है। क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर, बलरामपुर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 27.05.2026 में आवेदक/ अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1. आवेदक/अभियुक्त दीपक कुमार शुक्ला आयु करीब 20 वर्ष पुत्र अजित देव शुक्ला निवासी ग्राम-नरायनपुर मश० बेमिहा थाना-पचपेड़वा जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र धारा-483 भा०ना०सु०सं० प्रस्तुत दिनांक-25.05.2026 वास्ते अपराध क्रमांक-239/2024 अन्तर्गत धारा-74 बी०एन०एस० व धारा-11/12 पाक्सो एक्ट व धारा-3(2)va एस०सी०/एस०टी० एक्ट पंजीबद्ध अन्तर्गत थाना-पचपेड़वा जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) स्वीकार किया जाता है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/-(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर सत्यापन उपरान्त उसे जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन आजाद किया जावे:-

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में अनावश्यक विलम्ब कारित नहीं करेगा, यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है, तो न्यायालय जमानत के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में विचार करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को प्रलोभन, धमकी या दबाव डालकर सुगम एवं शीघ्र विचारण में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।
4. यह कि उक्त शर्तों का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी जमानत इस न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

आदेश मेरे उदबोधन पर टंकित किया गया।

दिनांक-17.06.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट,
बलरामपुर (उ०प्र०)
J.O.Code-UP1851

Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.06.17 17:30:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court